कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 440/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 05.12.2025

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 05.12.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना– वादिनी मुकदमा ने प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 21.09.2025 को उसकी 17 वर्ष की नाबालिग पुत्री को सुधीर माली पुत्र स्व0 अमरबहादुर ग्राम गैरवा थाना सरपतहा जनपद जौनपुर द्वारा बहला फुसलाकर भगा लिया है। काफी खोजबीन के बाद पता नही चलने पर थाना स्थानीय पर वादी ने प्रार्थना पत्र दिया। जिसके आधार पर दिनांक 22.09.25 को मु0अ0स0 325/25 धारा 87,137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 राजेश राय द्वारा प्रारम्भ की गयी। विवेचना के दौरान पता चला कि अभियुक्त सुधीर माली पुत्र स्व0 अमरबहादुर ग्राम गैरवा थाना सरपतहा जनपद जौनपुर ने बहला फुसला कर अगवा कर दुष्कर्म किया। पीड़िता की बरामदगी के पश्चात बयान, मेडिकल रिपोर्ट व अन्य साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) BNS व 3/4 पोक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

2. गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 05.12.25 को उ0नि0 राजेश राय मय हमराह के क्षेत्र तलाश वांछित अभियुक्त में फरहाबाद बाजार में मौजूद थे कि मुखबिर खास से मिली की मुकदमे से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रानी की सराय बाइपास रोड पर खडा होकर कहीं जाने की फिराक में है, इस सूचना पर हम पुलिस बल द्वारा अभियुक्त सुधीर माली उपरोक्त को मौके पर पहुंच कर पकड़ लिया गया। पकडे गये व्यक्ति से उनका नाम पता पूछा गया तो अपना नाम सुधीर माली पुत्र स्व0 अमरबहादुर ग्राम गैरवा थाना सरपतहा जनपद जौनपुर बताया। नाम पता तस्दीक होने के उपरान्त अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी अन्तर्गत धारा 87,137(2),64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट का बोध कराकर समय करीब 08.20 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. सुधीर माली पुत्र स्व0 अमरबहादुर ग्राम गैरवा थाना सरपतहा जनपद जौनपुर

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0स0 325/25 धारा 137(2),87,64(1) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण–

1. उ0नि0 राजेश राय 2. हे0का0 हौसलानन्द यादव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

थाना– महराजगंज, जनपद आजमगढ़

दहेज हत्या के अभियोग में वांछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार

1. घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 15.08.2025 को वादी द्वारा थाना महराजगंज पर तहरीर दी गयी कि उसकी विवाहित पुत्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई तथा उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था।

तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण—

1. राहुल दुबे, 2. पूजा दुबे 3. सास (नाम अज्ञात) 4. प्रेमशंकर दुबे

के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

विवेचना क्षेत्राधिकारी सगड़ी द्वारा संपादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा० अनिल कुमार (IPS) के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण)/क्षेत्राधिकारी सगड़ी के पर्यवेक्षण में गठित पुलिस टीम द्वारा दिनांक 04.12.2025 को मुखबिर सूचना के आधार पर अभियुक्तगण को ग्राम टीकर पैठान स्थित उनके घर से समय 11:15 बजे गिरफ्तार किया गया।

जामा तलाशी में कोई अनुचित वस्तु बरामद नहीं हुई। अभियुक्तों को माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।
गिरफ्तार अभियुक्त
1. अमिय कान्त दुबे उर्फ राहुल, उम्र 33 वर्ष
2. पूजा दुबे पत्नी निधिकान्त दुबे, उम्र 28 वर्ष
3. रुक्मिणी देवी पत्नी प्रेमशंकर दुबे, उम्र 64 वर्ष
4. प्रेमशंकर दुबे पुत्र स्व. सुबेदार दुबे, उम्र 68 वर्ष
निवासी– ग्राम टीकर पैठान, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़
पंजीकृत अभियोग
1-मु0अ0सं0 225/2025
धारा 80(2)/85 बीएनएस एवं 3/4 डीपी एक्ट, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़
गिरफ्तारी करने वाली टीम
1. प्र0नि0 केदारनाथ मौर्य
2. उ0नि0 शैलेश कुमार यादव
3. का0 सत्येन्द्र प्रजापति
4. का0 अमन सिंह यादव
5. का0 ऋषि कुमार
6. का0 राजकुमार
7. म0का0 दीपिका तिवारी
थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़

प्रेस-नोट

दिनांक: 05.12.2025

जनपद आज़मगढ़ पुलिस

मुंबई से खोए 80 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद — लगभग 16 लाख की संपत्ति सुरक्षित

CEIR टीम आज़मगढ़ का उत्कृष्ट कार्य

➡ जनपद आज़मगढ़ पुलिस ने तकनीकी दक्षता व त्वरित कार्रवाई का परिचय देते हुए मुंबई से खोए कुल 80 एंड्रॉयड मोबाइल फोन सफलतापूर्वक बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग ₹16 लाख है।

➡ CEIR टीम आज़मगढ़ ने उन्नत तकनीकी विश्लेषण व प्रभावी टीम वर्क के माध्यम से इन मोबाइल फोनों को ट्रेस कर विधिवत मुंबई पुलिस को सुपुर्द किया।

➡ आजमगढ़ पुलिस का यह प्रयास, गुमशुदा व चोरी हुए मोबाइलों की बरामदगी में पारदर्शी, संवेदनशील व प्रभावी कार्यशैली का एक सराहनीय उदाहरण है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार द्वारा किया गया थाना कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण।

आज दिनांक 05.12.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमारद्वारा थाना कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे। जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये –

➡थाना कार्यालय में अभिलेखो का अवलोकन किया गया, अभिलेखों के अवलोकन से प्रविष्टिया अद्यावधिक न होने पर पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

➡हिस्ट्रीशीटरों की निरन्तर निगरानी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

➡थाना परिसर की साफ-सफाई संतोष जनक पायी गयी।

➡थानाध्यक्ष कोतवाली को अपने अधीनस्थों की समस्या का निस्तारण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

➡मेस में भोजन बनाने वाले अनुचर को स्वयं साफ सफाई रखने एवं मेन्यू के अनुसार ही प्रतिदिन भोजन समय से तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया।

➡आपराधिक सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु ब्रीफ किया गया व गोष्ठी में यातायात व्यवस्था,यातायात नियमों का पालन, सामाजिक सौहार्द बनाये रखने हेतु कम्यूनिटी पुलिसिंग के तहत किये जाने वाले कार्य आपराधिक सूचनाओं के आदान-प्रदान में बेहतर तालमेल रखा जाय।

➡थाना परिसर में खड़े वाहनों को नियमानुसार निस्तारण किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

➡ थाना प्रांगण में आये फरियादियो से वार्ता कर उनकी समस्याओ को गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण हेतु थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया।

➡अवैध शराब एवं मादक पदार्थ किसी भी दशा में बिक्री नही होने पाये, अवैध शराब बनाने व बेचने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

➡ यातायात में जाम की स्थिति से निपटने के लिए यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु निर्देशित किया गया

➡गली, मोहल्लों व सड़कों पर अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

➡ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना क्षेत्र के चौकीदारों के साथ गोष्ठी की गयी जिनसे आपराधिक सूचनाओं को प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गयी।

➡ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा शहर थाना क्षेत्र के गणमान्यों के साथ गोष्ठी की गयी जिनसे क्राइम, ट्रैफिक व अन्य शिकायतों की निस्तारण करने सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया गया।